

# फर्द अहकाम

(नियम 15)

2024/167

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़  
पुरखाराम बनाम इन्द्रपाल आदि

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 49 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
02.04.2024	<p>प्रार्थी पुरखाराम की तरफ से वकील श्री महिपाल वर्मा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। रीडर की जांच रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं सलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि रोही मौजा पल्लू के खाता सं. 255/219 के ख.नं. 317 की 11.583 है., 879/354 की 2.883 है. कुल 14.466 है. में से अप्रार्थीगण मृतक माडुराम पुत्र दुदाराम के नाम दर्ज 32243/36165 हिस्सा भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। यह निषेधाज्ञा अन्य किसी प्रकार के वाद (यथा खाता विभाजन आदि), रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ-साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 03.05.2024 को पेश हो।</p>	
03.05.2024	<p>न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p> <p>कृपया कलक्टर उपस्थित/PU माह: अद्य से 04.05.24 है। पत्रावली गस्त दिनांक 3.7.2024 क पेश हो</p>	
03.7.2024	<p>कृपया कलक्टर उपस्थित/PU माह: अद्य से 04.05.24 है। पत्रावली गस्त दिनांक 03.07.2024 क पेश हो</p>	
29.7.2024	<p>वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट निषेधाज्ञा आगे नहीं चलाना चाहते हैं। मोझुदा कि प्रार्थी में धारणा करवाना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र 212 अन्तर्गत निषेधाज्ञा मोझुदा प्रार्थी में जारी की जाती है। प्रार्थनी नम्बर के अन्तर्गत आकर काउंटरकीव तस्वीर लाना दाखिल दफ्तर हो</p>	<p>राजीनामा होने पर धारणा को कार्यवाही नहीं चलाना है। पुलवार</p> <p>पुलवार</p> <p>पुलवार</p>

राजीनामा होने पर धारणा को कार्यवाही नहीं चलाना है।  
पुलवार

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी